एनएफ 24013/2/2025

भारत सरकार/ Government of India

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण/ National Financial Reporting Authority

****

07 वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस

कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-11

दिनांक:26-06.2025

सूचना /नोटिस

एनएफआरए के दिनांक 18.06.2025 के समसंख्यक नोटिस के संदर्भ में ,यह सूचित किया जाता है पैरा 10 के अनुसार, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17.07.2025 होगी ।

मृ त्युंजय सिंह

(मृत्युंजय सिंह)

उप महाप्रबंधक

एनएफ 24013/2/2025

भारत सरकार/ Government of India

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण/ National Financial Reporting Authority

****

07 वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस

कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-11

दिनांक: 18 जून 2025

विषय: भारत में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों आदि में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का प्रतिनिधित्व करने और सहायता करने के लिए अधिवक्ताओं के पैनल के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाने की सूचना।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन कंपनी अधिनियम (अधिनियम),2013 की धारा 132 के तहत किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, एनएफआरए केंद्र सरकार को लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों को तैयार करने तथा उन्हें निर्धारित करने, मानकों को अपनाने और लेखांकन मानकों की निगरानी रखने के साथ ही उनके अनुपालन तथा उन्हें लागू करने की सिफारिश करता है, ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करता है और सेवा की गुणवत्ता और ऐसे अन्य संबंधित मामलों में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाता है। एनएफआरए के पास कंपनियों और निगमित निकायों के लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए पेशेवर या अन्य कदाचार के मामलों में जांच करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियाँ भी हैं जैसा कि बताया गया है ।

एनएफआरए न्यायालयों/न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष एनएफआरए के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है। अधिवक्ताओं की सेवाओं का उपयोग मुकदमेबाजी के अलावा अनुबंधों/समझौतों और कानूनी विकल्पों के मसौदे तैयार करने /पुनरीक्षण करने के लिए किया जाएगा।

2. **परिभाषाएँ**

इन दिशा-निर्देशों के लिए, प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे।

(i)'अधिवक्ता' का अर्थ अधिवक्ता अधिनियम,1961(1961 का 25) के प्रावधानों के तहत अधिवक्ताओं की किसी भी सूची में दर्ज अधिवक्ता है;

(ii) 'वरिष्ठ अधिवक्ता' का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित अधिवक्ता है।

(iii) 'सक्षम प्राधिकारी' अध्यक्ष,एनएफआरए या अध्यक्ष,एनएफआरए के द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी होगा।

(iv) 'न्यायालय' से तात्पर्य भारत में स्थित कोई भी न्यायालय जिसमें अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, एनसीएलएटी, न्यायाधिकरण, आयोग, प्राधिकरण आदि शामिल होंगे।

(v). 'प्रभावी सुनवाई' का अर्थ ऐसी सुनवाई होगी जिसमें न्यायालय द्वारा मामले में शामिल एक या दोनों या सभी पक्षों की सुनवाई की जाती है। यदि मामले को केवल शामिल किया जाता है और स्थगित कर दिया जाता है या केवल निर्देश दिए जाते हैं या निर्णय सुनाया जाता है, तो यह इन दिशा-निर्देशों के लिए गैर-प्रभावी सुनवाई मानी जाएगी।

(ख) पैनल में शामिल अधिवक्ता एनएफआरए को एक महीने का लिखित नोटिस देकर पैनल में शामिल होने को समाप्त कर सकते हैं और इस दस्तावेज़ के पैरा 8 में दी गई शर्तों का पालन कर सकते हैं।

5. **पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता**

(क) एक अधिवक्ता को वरिष्ठ पैनल में शामिल होने के लिए संबंधित न्यायालय में कम से कम पंद्रह वर्षों तक बार में सक्रिय प्रैक्टिस करनी होगी और न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में स्वतंत्र रूप से मामलों पर बहस करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। सामान्य पैनल में शामिल होने के लिए एक अधिवक्ता को संबंधित न्यायालय में कम से कम सात वर्षों तक बार में सक्रिय प्रैक्टिस करनी होगी।

(ख) अधिवक्ताओं को कानून की विभिन्न शाखाओं विशेषकर कॉर्पोरेट कानून, संवैधानिक /सेवा कानून, वाणिज्यिक कानून आदि से परिचित होना चाहिए। पेशेवर सेवाओं के पैनल और नियुक्ति के लिए, कंपनी अधिनियम (समय-समय पर अद्यतन) का अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट (समय-समय पर अद्यतन), भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क से परिचित होना चाहिए जिनमें एनएफआरए नियम और विनियम **अनिवार्य** होंगे। वित्तीय लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों से परिचित होना **वांछनीय** होगा।

(ग) उपर्युक्त के अलावा, अधिवक्ताओं के पास निम्नानुसार न्यूनतम पेशेवर / न्यायालय में प्रैक्टिस का अनुभव होना आवश्यक है:

(i) **सर्वोच्च न्यायालय के लिए पैनल में शामिल होने के लिए**: सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।

(ii) **उच्च न्यायालयों में पैनल में शामिल होने के लिए:** उच्च न्यायालय में कम से कम 07 वर्ष का अनुभव।

(iii) **एनसीएलएटी में पैनल में शामिल होने के लिए:** उच्च न्यायालय/एनसीएलएटी में कम से कम 07 वर्ष का अनुभव।

(iv) **एनसीएलएटी के अलावा अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के लिए पैनल में शामिल होने के लिए:** न्यायाधिकरणों/आयोगों/बोर्डों/प्राधिकरणों में कम से कम 07 वर्ष का अनुभव।

(घ) बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार उपरोक्त शर्तों में छूट दे सकता है, यदि कुछ मामलों में अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार करने के लिए, आम तौर पर उन अधिवक्ताओं पर विचार किया जाएगा जो नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड शामिल हैं, यदि वे अन्यथा सक्षम और उपयुक्त पाए जाते हैं।

6. **शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें**

(क) अधिवक्ता को देय शुल्क सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुरूप देय होगी और इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय- समय पर संशोधित किया जा सकता है। शुल्क संरचना इस दस्तावेज़ में शुल्क की अनुसूची के रूप में संलग्न है।

(ख) जहां दो या दो से अधिक मामले ऐसे हों जिनमें कानून या तथ्यों से संबंधित लगभग समरूप या समान प्रश्न हों, ऐसे मामलों में से एक को मुख्य मामला तथा अन्य को समान/संबंधित मामला माना जाएगा और संबंधित अधिवक्ता/वकील को मुख्य मामले के लिए पूरी फीस तथा प्रत्येक समान या समान/संबंधित मामले के लिए मुख्य मामले की फीस का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। गैर -प्रभावी सुनवाईयों की स्थिति में, यदि अधिवक्ता

(iii) यदि आवश्यक समझा गया, तो पैनल में शामिल किए जाने वाले अधिवक्ता के दावों और आचरण के बारे में संबंधित बार काउंसिल/बार एसोसिएशन में भी पूछताछ की जा सकती है और उसकी साख की जांच की जा सकती है।

(iv) यदि अधिवक्ता को अन्य विनियामकों/संगठनों द्वारा पैनल में शामिल किया जाता है, और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो उन संगठनों की राय ली जा सकती है।

(v) सक्षम प्राधिकारी पैनल में शामिल किए जाने/नियुक्त किए जाने के लिए प्रासंगिक किसी अन्य कारक पर भी विचार कर सकता है ।

(घ) बायो-डेटा के अलावा, आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी:

(i) आयु के समर्थन में हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र

(ii) बार काउंसिल के साथ पंजीकरण

(iii) बार एसोसिएशन/बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान-पत्र

(iv) अन्य संगठनों के साथ पैनल में शामिल किए जाने/नियुक्त किए जाने की प्रतियां

(v) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में प्रमाण-पत्र

(vi) आय कर प्राधिकरणों में दायर वार्षिक आयकर रिटर्न।

(vii)अधिवक्ता के लिए उचित एवं पर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे कार्यालय परिसर, कंप्यूटर सिस्टम / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कानूनी पुस्तकालय, जूनियर अधिवक्ताओं की संख्या, सहायक, क्लर्क और फैक्स, मोबाइल फोन, फिक्स्ड फोन, इंटरनेट कनेक्शन आदि।

(viii) अधिवक्ता से इस आशय का वचन कि दी गई सभी जानकारी सही है।

(च) अधिवक्ता को पैनल में शामिल करने का निर्णय लिए जाने के बाद, इस आशय का लिखित संचार **परिशिष्ट-II** के अनुसार अधिवक्ता को पावती और स्वीकृति के साथ भेजा जाएगा।

(छ) पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया तब पूरी होगी जब एनएफआरए को अधिवक्ता से स्वीकृति- पत्र प्राप्त हो जाएगा।

(ज) अधिवक्ताओं को एनएफआरए द्वारा उनके पैनल में शामिल किए जाने की सूचना दी जाएगी।

8. **सामान्य नियम और शर्तें**

(क) समान मुद्दों/कानून के बिंदुओं या अन्यथा आपस में जुड़े या एक साथ रखे गए मामलों को यथासंभव एक ही अधिवक्ता को सौंपा जा सकता है, हालांकि, एक अधिवक्ता/कुछ अधिवक्ताओं के हाथों में मामलों के संकेन्द्रण से बचने के लिए सावधानी बरती जाएगी।

(ख) मामलों/कानूनी कार्यों का आवंटन सक्षम प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर होगा।

(ग) पैनल में शामिल होने की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण न होने पर, जैसा भी मामला हो, अधिवक्ता संक्षिप्त विवरण (संक्षेप) उस अधिवक्ता को लौटा देगा जिसे एनएफआरए द्वारा मामला आवंटित किया गया है, यदि आवश्यक हो तो उससे संबंधित सभी अन्य दस्तावेज/रिकॉर्ड अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ वापिस लिए जाएंगे । किसी भी अधिवक्ता को नियुक्ति की अवधि समाप्त होने या समाप्त होने पर एनएफआरए का प्रतिनिधित्व करने या कोई गतिविधि करने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) अधिवक्ता को किसी विशिष्ट न्यायालय के लिए नियुक्त/पैनल में शामिल होना आवश्यक नहीं है और उसे सौंपे गए कार्य को स्वीकार करना होगा और उचित कारण के बिना किसी भी कार्य को स्वीकार करने से इनकार नहीं करना होगा।

(क) पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन-पत्र में गलत जानकारी देना।

(ख) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित में अनुमति के बिना संक्षिप्त विवरण या मामले को किसी अन्य अधिवक्ता को सौंपना.

(ग) पर्याप्त कारण और पूर्व सूचना के बिना मामले की सुनवाई में उपस्थित न होना;

(i) एनएफआरए के निर्देशों के अनुसार कार्य न करना या विशिष्ट निर्देशों के विरुद्ध जाना;

(ii) मांगे जाने पर संक्षिप्त विवरण वापस न करना या मांगे जाने पर उसका निरीक्षण न करने देना या करने से बचना;

(घ) एनएफआरए के फंड का दुरुपयोग करना या बिना उचित अनुमति के उसे अपनी फीस के लिए उपयोग करना।

(च) एनएफआरए के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या प्रतिनिधि को धमकाना, डराना, दुर्व्यवहार करना या गाली देना।

(छ) बिना अनुमति के एनएफआरए से संबंधित मामलों/अपीलों में किसी भी विरोधी पक्ष की ओर से अपने किसी सहयोगी या कनिष्ठ को पेश करवाना;

(ज)) ऐसा कार्य करना जो न्यायालय की अवमानना या व्यावसायिक कदाचार के समान हो;

(झ) अधिवक्ता को किसी अपराध में दोषी ठहराना जिसके परिणामस्वरूप बार काउंसिल द्वारा उसे गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाए या निष्कासित किया जाए;

(ट) एनएफआरए के मामले से संबंधित सूचना को विपक्षी पक्षों या उनके अधिवक्ताओं को देना जिससे एनएफआरए के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो;

(ठ) एनएफआरए को मामले की कार्यवाही से संबंधित गलत या भ्रामक सूचना देना; और

(ड) बार-बार स्थगन प्राप्त करना या पर्याप्त कारण के बिना दूसरे पक्ष द्वारा मांगे गए स्थगन पर आपत्ति न करना।

(ढ) सूचीबद्ध/नियुक्त अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त किसी भी अक्षमता के घटित होने के कारण पैनलबद्धता/नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

(त) इच्छुक और पात्र अधिवक्ता निर्धारित समय के भीतर अपने बायो-डेटा के साथ **परिशिष्ट-I** में दी गई जानकारी सहित तथा इस नोटिस के पैरा 7 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि---------- 2025 होगी।

11. सभी आवेदन सचिव, एनएफआरए को संबोधित किए जाने चाहिए तथा डाक/कूरियर आदि द्वारा एक लिफाफे में **"भारत में विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों आदि के समक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने तथा सहायता करने के लिए पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"** लिखकर निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए:

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण,

7वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस,

18-20, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001

12. आवेदन ईमेल द्वारा भी भेजे जाने चाहिए [ईमेल आईडी: manager-admnan/ra.gov.in पर)। सभी आवेदनों-पत्रों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित (निर्दिष्ट क्रम में) शामिल होने चाहिए:

(i). बायोडेटा जिसमें परिशिष्ट-I में दी गई जानकारी शामिल हो ।

(ii) दस्तावेजों की सूची;

(iii) इस नोटिस के अनुसार अपेक्षित सहायक दस्तावेजों की प्रतिलिपि।

फीस की विस्तृत अनुसूची

प्रत्येक मामले के लिए फीस के शीर्ष/मद इस प्रकार हैं,

क्रमांक	मदें /शीर्षक	वरिष्ठ पैनल फीस (राशि तक) (रुपये में)	सामान्य पैनल फीस (राशि तक) (रुपये में)
1.	मसौदा /पुनरीक्षण के लिए फीस (प्रारंभिक ब्रीफिंग, पेपर /दस्तावेजों को पढ़ना, कानूनी शोध, संबंधित चर्चा, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की लागत सहित)		
	(क) सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका / एसएलपी	40,000	25,000
	(ख)जबावी शपथ-पत्र /उत्तर/लिखित प्रस्तुतियाँ, आदि	20,000	15,000
	ग) अतिरिक्त शपथपत्र/प्रतिउत्तर/विविध आवेदन	8,000	5,000
	(घ) अंतरिम/मध्यवर्ती/अभियोजन आवेदन	8,000	5,000
2.	मसौदा /पुनरीक्षण के लिए शुल्क(प्रति मामले) :		
	(क) समझौते	8,000	5,000
	(ख) आरएफपी/एमओयू/अनुबंध और अन्य संबंधित दस्तावेज (प्रति मामले)	12,000	8,000
	(ग) गैर-प्रकटीकरण समझौते (केवल अनन्य (exclusive) एनडीए)	5,000	3,000
	(घ) जारी किए जाने वाले कानूनी नोटिस/कानूनी नोटिस का जवाब	5,000	3,000
3.	दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में बहस करने के लिए शुल्क, प्रत्येक प्रभावी सुनवाई	50,000	35,000
	स्थानीय उच्च न्यायालयों में बहस करने के लिए शुल्क, प्रत्येक प्रभावी सुनवाई	40,000	25,000
	दिल्ली में न्यायाधिकरण, प्रत्येक प्रभावी सुनवाई	25,000	15,000
	बाहरी न्यायालय में बहस करने के लिए शुल्क, प्रत्येक प्रभावी सुनवाई (सम्मेलन और उपस्थिति सहित) - वी.सी. के माध्यम से यदि बाहरी उच्च न्यायालय की यात्रा कर रहे हैं	40,000 80,000	25,000 50,000

बायोडेटा में शामिल की जाने वाली आवश्यक विशेषताएँ

1. नाम
2. जन्म तिथि, आयु (आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार):
3. शैक्षणिक योग्यताएँ:
4. नामांकन की तिथि, बार काउंसिल का नाम (नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें):
5. अभ्यास की अवधि:
6. अनुभव/ प्रेक्टिस का विवरण:
7. प्रेक्टिस का क्षेत्र:
8. विशेषज्ञता, यदि कोई हो (संविधान/कराधान/सेवा आदि):

अधिवक्ता द्वारा निपटाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का विवरण और दिए गए निर्णयों की सूचना, यदि कोई हो ।

9. क्या केंद्र सरकार के अधिवक्ता/ अधिवक्ता (अवधि बताएं)]
10. ग्राहकों की संक्षिप्त सूची जैसे सरकार/संगठन/प्राधिकरण/पीएसयू
11. वे न्यायालय जहां अधिवक्ता नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं (बार एसोसिएशन सदस्यता प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।
12. सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तिथि और पंजीकरण संख्या
13. आयकर पैन नंबर
14. कॉर्पोरेट कानून का अनुभव
15. पैनल में शामिल होने के लिए उपयुक्तता पर एक संक्षिप्त नोट, जिसमें एनएफआरए के नोटिस संख्या---------- दिनांक ----------के पैरा 7 में दी गई आवश्यकताएं शामिल हैं ।

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी भी बार काउंसिल द्वारा दंडित नहीं किया गया है। मैं अधिनियम, नियमों और विनियमों के तहत प्राधिकरण के मामलों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने का भी वचन देता हूं।

अधिवक्ता के हस्ताक्षर
पता (कार्यालय और निवास/कक्ष)
दूरभाष संख्या
मोबाइल नंबर
फैक्स नंबर
ई-मेल

11. आपके खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही / आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत के मामले में, प्राधिकरण ऐसी कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा किए बिना भी आपको पैनल से हटा सकता है।

12. आपके कार्य निष्पादन की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी (पहले की समीक्षा भी की जा सकती है)।

13. आपको अधिनियम, प्रासंगिक नियमों और विनियमों के तहत प्राधिकरण के मामलों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है और आप प्राधिकरण की लिखित सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति या प्रतिद्वंदी को कोई भी विवरण नहीं बताएंगे।

14. आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बिना शर्त सहमति दर्शाते हुए इस पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति वापस करें। हम आपके साथ एक फलदायी व्यावसायिक जुड़ाव की आशा करते हैं।

आपका आभार

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)